


तारीख
हुसम

23.9.22

पत्रावली पैसा हुई, वकील वादीगण अनुपस्थित।
वादीगण एवं वादीगण के अधिवक्ता को कितनी बार
कैफ-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी
उपस्थित नहीं। वकील वादीगण के अनुपस्थित रहने
से वादीगण का वाद पत्र अदम हाजरी / अदम
पैरवी में खारीज किया जाता है, पत्रावली केवल
सुमार होकर नम्बर से कम है।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा